S2

संख्या : 611/USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 06 अक्टूबर 2021

विषयः कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु पूर्व में दिये गये दिशानिर्देश – **'COVID - Restrictions'**, (दिनांक 05 से 19 अक्टूबर, 2021 तक), बिन्दु संख्या 13 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के चारधाम यात्रा के संबंध में आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा जारी 'COVID - Restrictions' आदेश संख्याः 594/USDMA/792(2020), दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 'COVID - Restrictions' के बिन्दु संख्या – 13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु संख्या – 13 : चारधाम यात्रा

i. संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए जारी मानक प्रचलन विधि शासनादेश संख्या – 633/VI/21–83(5)/2021 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के अनुसार चारधाम यात्रा का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. जो श्रद्धालु चारधाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते है, उन श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट **http://smartcitydehradun.uk.gov.in** में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई–पास के द्वारा ही उत्तराखण्ड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी। उत्तराखण्ड के निवासियों को चारधाम के दर्शन के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेब पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

iii. सभी तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा COVID वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत का प्रमाण–पत्र एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारिक वेबसाइट **http://smartcitydehradun.uk.gov.in** में पंजीकरण का प्रमाण दिखाने के

बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसे यात्रियों/श्रद्धालुओं जिनके द्वारा कोविड वैक्सीन की एक अथवा कोई डोज नहीं लगवाई गयी हो, उन सभी को यात्रा की तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिर्पोट के साथ उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी की अधिकारिक वेबसाइट में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा/दर्शन के लिए अनुमति होगी।

iv. जिला प्रशासन एवं देवस्थानम बोर्ड द्वारा मन्दिर में (यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ) दर्शन के दौरान यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं भीड़ नियंत्रण के लिए संबंधित पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेंगी।

v. पूर्व में जारी आदेश संख्या – 594/USDMA/792(2020), दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 में शेष दिशानिर्देश यथावत रहेंगे।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

6/10/2021.

(एस0 ए0 मुरुगेशन)
सचिव

54

संख्या–633 / VI /21-83(5)2021

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादूनः दिनाँकः05 अक्टूबर, 2021

विषय : चार धाम यात्रा–2021 के संचालन हेतु मानक प्रचालन विधि (एस0ओ0पी0) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर जनहित याचिका क्रमशः संख्या–58/2020, 97/2019, 50/2020, 51/2020, 67/2020, 70/2020, 61/2021 एवं 71/2021, 72/2021, 77/2021 एवं 90/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2021 के अनुपालन में चार धाम यात्रा–2021 दिनांक 18.09.2021 से प्रारम्भ करते हुए, इस हेतु यात्रियों की सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मानकों को अपनाये जाने के लिए मानक प्रचालन विधि (एस0ओ0पी0) निर्गत करते हुए श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री एवं श्री गंगोत्री में क्रमशः 1000, 800, 600 एवं 400 यात्रियों को प्रतिदिन दर्शन की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर जनहित याचिका क्रमशः संख्या–58/2020, 97/2019, 50/2020, 51/2020, 67/2020, 70/2020, 61/2021 एवं 71/2021, 72/2021, 77/2021 एवं 90/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2021 के अनुपालन में चार धाम यात्रा–2021 संचालन हेतु शासनादेश सं– 604 /VI/21-83 (5) 2021, दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निर्गत मानक प्रचालन विधि(एस0ओ0पी0) में निम्न संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

प्रस्तर–1(ii)ख. प्रवेश और पंजीकरण

i. उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http:// smartcitydehradun.uk.gov.in) पर राज्य के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।

ii सभी तीर्थयात्रियों द्वारा COVID वेक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरान्त प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। यदि यात्री द्वारा COVID वेक्सीन की 01 अथवा कोई डोज नहीं लगवायी गयी हो, ऐसे यात्रियों को यात्रा तिथि से अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/ TrueNat /CBNAAT/RAT COVID नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही दर्शन की अनुमति दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

iii उत्तराखंड राज्य के भीतर के व्यक्तियों को उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल (http://smartcitydehradn.uk.gov.in) पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। 55

iv किसी भी यात्री को राज्य के अंदर किसी भी जांच बिंदु पर बुनियादी जांच के दौरान संक्रमित पाया जाता है तो उन्हें COVID–19 परीक्षण हेतु नामित परीक्षण केंद्रों/अस्पतालों में COVID–19 परीक्षण (RT&PCR/रैपिड एंटीजन/TruNat परीक्षण) के लिए भेजा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर, लक्षणों की गंभीरता और MoHFW प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें CCC/DCHC, DCH के लिए रेफर किया जाएगा।

1(ii)ग. धामों की COVID वहन क्षमता–

कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत धाम मे उपलब्ध आवासीय सुविधा एवं धाम एवं मंदिर परिसर में उपलब्ध स्थान के दृष्टिगत सामाजिक दूरी के मानदंडों (6 फीट) का अनुपालन करते हुए धामों में दर्शन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

3– शासनादेश सं–604/VI/21-83 (5) 2021, दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निर्गत मानक प्रचालन विधि(एस0ओ0पी0) में चारों धामों में (क)पंजीकरण प्रक्रिया एवं (ख) पंजीकरण चैकिंग में उल्लिखित प्राविधानों को निरस्त किया जाता है।

4– उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त शासनादेश सं–604/VI/21-83 (5) 2021, दिनांक 17.09.2021 के द्वारा निर्गत मानक प्रचालन विधि (एस0ओ0पी0) के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या–61 /VI/21–83(5)2021तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी स्टॉफ, समस्त मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– पुलिस अधीक्षक, चमोली/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

Scann... amScanner